आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

सेवा अपीलवाद सं0-64-70/2023

ओम प्रकाश राम.....अपीलकर्त्ता

बनाम्

बिहार राज्य.....विपक्षी

03.11.2023

आदेश

प्रस्तुत सेवा अपीलवाद की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-573/2021 में दिनांक 09.05.2022 को पारित आदेश के आलोक में इस स्तर पर की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्न है:-

".....petitioner is permitted to prefer appeal before the Appellate Authority against the order of the District Magistrate. If such appeal is filed within a period of eight weeks from today, in that event, Appellate Authority is hereby directed to decide petitioner's appeal within a period of three months from the date of receipt of such appeal and communicate the same to the petitioner."

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि श्री ओम प्रकाश राम, पिता-स्व0 गंगा राम, ग्राम+मुहल्ला, पकवलिया, दरौंदा, जिला-सिवान के निवासी है। अपीलकर्त्ता वर्ष 2005 में ग्राम पंचायत राज-दक्षिणी सरारी, प्रखंड-गोरेयाकोठी, जिला-सिवान में पंचायत सचिव के रूप में कार्यरत रहे थें। दिनांक 08.05.2005 को गोरेयाकोठी, प्रखंड मुख्यालय में आयोजित जनता दरबार में शिकायतकर्ता श्री झक्कर महतो, ग्राम-नोनिया टोली एवं अन्य द्वारा अपीलकर्त्ता के विरूद्ध वित्तिय वर्ष 2004-05 की अवधि में सम्पूर्ण रोजगार योजनान्तर्गत शादीपुर पंचायत में सड़क निर्माण की योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरते जाने से संबंधित शिकायत पत्र दिया गया। शिकायत पत्र की जाँचोपरांत पाया गया कि (1) सड़क निर्माण योजना में नियोजित मजदूरों के द्वारा मजदूरी मांगने पर उनके साथ अपीलकर्त्ता द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। (2) दिनांक 03.01.2005 से दिनांक 20.03.2005 की अवधि में उक्त योजना से संबंधित प्राक्कलित राशि रू0 95,000.00 (पंचानवे हजार रूपया मात्र) के समतुल्य सम्पूर्ण राशि की निकासी बिना कार्य सम्पादित किए संबंधित मुखिया की मिलीभगत से की गई। (3) नियोजित मजूदरों को सही समय से एवं सही राशि का भुगतान मजदूरी के रूप में कार्यस्थल पर नहीं किया गया एवं गलत मस्टर रौल अभिलेख के साथ संलग्न किया गया एवं (4) मो0 26320.00 (छब्बीस हजार तीन सौ बीस) रूपया का अस्थाई गबन करते हुए सरकारी राशि का उपयोग व्यक्तिगत कार्य हेतु किया गया।

उक्त आरोपों के लिए अपीलकर्त्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया तथा उनसे द्वितीय कारण-पृच्छा की मांग की गयी। अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध साक्ष्यों की विवेचनापरांत अपीलकर्त्ता के विरूद्ध तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध किए जाने, निलम्बन अवधि का मात्र जीवन निर्वाह भर्त्ता देय होने तथा भविष्य के लिए चेतावनी का दण्ड अधिरोपित किया गया। साथ ही अपीलकर्त्ता से भविष्य में कोई वित्तीय कार्य नहीं लिए जाने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष

सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-263/2016 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 05.05.2018 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित है:-

".....I deem it proper to grant liberty to the petitioner to represent before the authority concerned and it goes without saying that any such representation limited to the issue of grant of Grade pay, is filed by the petitioner, the same would be considered and be disposed of by the authority concerned in accordance with law within a period of three months from date of filing of such representation....."

सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-263/2016 में दिनांक 05.05.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा ए0सी0पी0 के लाभ हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष L.P.A. No. 341/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 07.12.2018 को आदेश पारित किया गया है, जिसका प्रभावी अंश निम्नलिखित है:-

".....we see no reason to interfere with the impugned judgment without prejudice to the rights of the appellants to seek his remedy for any such future and further benefits to which he may be entitled in accordance with law....."

L.P.A. No. 341/2018 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष M.J.C. No. 1603/2019 दायर किया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा दायर M.J.C. No. 1603/2019 (L.P.A. No. 341/2018 से उदभूत) के आलोक में उनके सुनिश्चित वृति उन्नयन लाभ के बिन्दु पर पुर्नविचार करते हुए जिला पदाधिकारी, सिवान के आदेश ज्ञापांक-447-II/पंचायत, दिनांक 06.06.2019 द्वारा प्रथम ए0सी0पी0 दिनांक 01.03.2007 को वेतनमान 5000-8000 में एवं द्वितीय एम0ए0सी0पी0 दिनांक 25.09.2015 को ग्रेड पे-4600 का लाभ दिया गया। तत्पश्चात अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष जिला पदाधिकारी, सिवान के आदेश ज्ञापांक सं0-337/प0, दिनांक 01.03.2007 को चुनौती देते सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-573/2021 दायर किया गया जिसमें दिनांक 09.05.2022 को पारित आदेश के आलोक में अपीलकर्त्ता द्वारा इस स्तर पर अपीलवाद दायर न करते हुए दिनांक 03.06.2022 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक-1241, दिनांक 09.07.2022 द्वारा अग्रेतर कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी, सिवान को प्रेषित किया गया जिसके आधार पर अपीलकर्त्ता द्वारा न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सिवान के समक्ष मिसलेनियस वाद सं0-60/2022 दायर कराया गया। उक्त वाद को सुनवाई योग्य न पाते हुए समाहर्ता, सिवान के आदेश दिनांक 22.05.2023 द्वारा वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गयी है। इसी क्रम में अपीलकर्त्ता द्वारा मामलें का निष्पादन नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमाननावाद एम0जे0सी0 सं0-1351/2023 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-573/2021 में दिनांक 09.05.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत वाद की सुनवाई की गयी है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि जनता दरबार में प्राप्त शिकायत के आधार पर अपीलकर्त्ता से बिना किसी कारण-पृच्छा के उन्हें निलंबित कर

दिया गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल है। उनके द्वारा आगे बताया गया कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज द्वारा समाहर्त्ता, सिवान को प्रेषित प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा किसी से दुर्व्यवहार नहीं किया गया है साथ ही राशि के विलंब से भुगतान होने में अपीलकर्त्ता की भूमिका नगण्य है। इस क्रम में उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि संबंधित मामलें में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी गोरेयाकोठी से भी जाँच करायी गयी है जिसके क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोरेयाकोठी के पत्रांक-467/दिनांक 28.07.2005 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भुगतान में विलंब संबंधित मुखिया के चलते हुआ है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध तथाकथित अनियमितता की जाँच एक सक्षम पदाधिकारी के माध्यम से करायी गयी है, तो उक्त जाँच प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों के विपरीत अपीलकर्त्ता को किस आधार पर दोषी पाया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। यदि समाहर्त्ता महोदय उक्त जाँच प्रतिवेदन से असंतुष्ट थे तो स्वयं अथवा किसी सक्षम पदाधिकारी से जाँच कराते हुए समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए थी। विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि प्रश्नगत मामला, जिसमें जाँच पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता की भूमिका को नगण्य माना गया है के लिए अपीलकर्त्ता का तीन वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने एवं निलंबन अवधि का केवल जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने का दंड बहुत बड़ी सजा है।

अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त के आलोक में समाहर्त्ता, सिवान के आदेश ज्ञापांक-337/प0, दिनांक 01.03.2007 द्वारा पारित दण्डादेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता को समुचित लाभ प्रदान करने की कृपा की जाए।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा अपीलकर्त्ता के तर्कों का खंडन करते हुए कहा गया कि दिनांक 08.05.2005 को गोरेयाकोठी प्रखंड मुख्यालय में आयोजित जनता दरबार में श्री झक्कर महतो, ग्राम-नोनिया टोली एवं अन्य से अपीलकर्त्ता के विरूद्ध वित्तीय विर्ष 2004-05 की अवधि में सम्पूर्ण रोजगार योजनान्तर्गत शादीपुर पंचायत में सड़क निर्माण की योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरते जाने से संबंधित प्राप्त शिकायत पत्र प्राप्त है। प्राप्त शिकायत पत्र की जाँचोपरान्त उनके विरूद्ध सड़क निर्माण योजना में नियोजित मजदूरों के द्वारा मजदूरी माँगने पर अभद्र व्यवहार किए जाने, दिनांक 03.01.2005 से दिनांक 20.03.2005 की अवधि में उक्त योजना से संबंधित प्राक्कलित राशि रू0 95,000/- (पंचानवे हजार रू0 मात्र) के समतुल्य राशि की निकासी बिना कार्य सम्पादित किए संबंधित मुखिया की मिलीभगत से किए जाने, नियोजित मजदूरों को सही समय से एवं सही राशि का भुगतान मजदूरी के रूप में कार्यस्थल पर नहीं किए जाने एवं गलत मस्टर रौल अभिलेख के साथ संलग्न किए जाने तथा रू0 26,320.00 (छब्बीस हजार तीन सौ बीस रूपया) का अस्थाई गबन कर सरकारी राशि का उपभोग व्यक्तिगत कार्य हेतु किए जाने संबंधित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया है तथा फलाफल के आधार पर दण्ड का निर्धारण किया गया है। इस क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 29.12.2005 को अपीलकर्त्ता द्वारा

संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर स्वीकार किया गया है कि उनके निलंबन के पश्चात मजदूरों के कुछ मजदूरी का भुगतान किया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध शिकायत पत्र दिए जाने के समय तक मजदूरों का भुगतान लंबित था।

उक्त के आधार पर विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जिला पदाधिकारी, सिवान के प्रश्नगत आदेश में किसी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, अतएव उसे यथावत रखा जा सकता है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं जिला पदाधिकारी, सिवान के प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया। जिला पदाधिकारी, सिवान के प्रश्नगत आदेश में अपीलकर्त्ता पर लगाए गए आरोप एवं उसके संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य/तथ्य के आधार पर उसकी विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है।

(1) अपीलकर्ता पर प्रथम आरोप है कि,

" सड़क निर्माण योजना में नियोजित मजदूरी के द्वारा मजदूरी मांगने पर उनके साथ श्री राम द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है।"

इस संबंध में शिकायतकताओं द्वारा पूर्व में शिकायत दिया गया कि अपीलकर्त्ता पंचायत सचिव के द्वारा उनके साथ अनुचित और बुरा व्यवहार किया गया है। जबकि संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में इससे इंकार किया गया है। संचालन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज द्वारा किया गया जाँच इस कारण से स्वीकार योग्य नहीं प्रतीत होता है कि संचालन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन शिकायतकत्ताओं द्वारा शिकायत दिए जाने के बाद का है। शिकायतकत्ताओं को मजदूरी भुगतान में हुए विलंब के संबंध में आरोप/अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि शिकायतकत्ताओं के साथ अनुचित व्यवहार किया गया है।

(2) अपीलकर्त्ता पर दूसरा आरोप है कि,

" दिनांक 03.01.2005 से दिनांक 20.03.2005 की अवधि में उक्त योजना से संबंधित प्राक्कलित राशि 95,000.00 (पंचानवे हजार रूपया मात्र) के समतुल्य सम्पूर्ण राशि की निकासी बिना कार्य संपादित किए संबंधित मुखिया की मिलीभगत से की गई।"

इस क्रम में अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन में निम्न तथ्य पाए गए है,

(i) 26,320.00 (छब्बीस हजार तीन बीस रूपया) के अस्थायी गबन के आरोप का उल्लेख किसी आरोप/विभागीय कार्यवाही में दर्ज नहीं है।

(ii) तत्समय मुखिया और पंचायत सचिव द्वारा चेक पर संयुक्त हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात राशि के निकासी का प्रावधान था।

(iii) जिला पदाधिकारी, सिवान के आदेश ज्ञापांक-1610/सी0, दिनांक 09.05.2005 के अवलोकन में आरोपी कर्मी से आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण पूछे जाने का कोई उल्लेख नहीं पाया गया है।

(iv) प्राक्कलित राशि रू0 95,000/- के समतुल्य राशि के निकासी किए जाने एवं गलत मस्टर रौल संलग्न करने का साक्ष्य अभिलेख पर नहीं पाया गया है।

लेकिन आरोपित कर्मी द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांक 14.10.2006 में उल्लेख किया गया है कि *".....दिनांक 30.05.2005 को मुझे पंचायत स्तर से नोटिश प्राप्त हुआ कि मेरे द्वारा लिए गए अग्रिम एवं चावल का अधिक उठाव किया गया है। सूचना प्राप्त होने के पश्चात सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जगदीशपुर मोड़ में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के खाता सं0-5797 में दिनांक 17.05.2005 को एवं अन्य योजना में अधिक ली गयी राशि कुल मो0 22,937.00 (बाईस हजार नौ सौ सैतीश) रूपया जमा किया गया तथा 19 क्विंटल 20 किलों चावल पंचायत के भंडार में जमा कर भंडार पंजी में दर्ज करा दिया गया है।....."*

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता द्वारा "सम्पूर्ण रोजगार योजना हेतु निर्धारित फंड से बिना किसी आवश्यकता के राशि की निकासी की गयी है। अपीलकर्त्ता का उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता का परिचायक तथा गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।

(3) अपीलकर्त्ता पर तीसरा आरोप है कि,

" नियोजित मजूदरों को सही समय से एवं सही राशि का भुगतान मजदूरी के रूप में कार्यस्थल पर नहीं किया गया एवं गलत मस्टर रौल अभिलेख के साथ संलग्न किया गया।"

उक्त आरोप के विषय में अभिलेख के अवलोकन में पाया गया है कि,

(i) योजना में नियोजित 25 मजदूरों द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर कहा गया कि उनके मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक 29.12.2005 को संचालन पदाधिकारी के समक्ष सुनवाई के क्रम में स्वीकार किया गया है कि *".....पंचायत चेक पर मुखिया एवं पंचायत सचिव दोनों का संयुक्त हस्ताक्षर होता है। मजदूरी का मजदूरी भुगतान हेतु उनके द्वारा चेक पर हस्ताक्षर कर दिया गया था। मुखिया द्वार चेक पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण मजदूरों का मजदूरी भुगतान कुछ ही दिन का लंबित था, जो मेरे निलंबन के पश्चात मुखिया द्वारा स्वयं पर कोई कार्रवाई के डर से कर दिया गया। योजना में कार्य करने वाले अब किसी भी मजदूर का मजदूरी बकाया नहीं है।....."*

(ii) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक 30.12.2005 को अपने आदेश में अंकित किया गया है कि,

" सभी पक्षों का बयान एवं निलंबित पंचायत सेवक के बयान से स्पष्ट है कि मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोरेयाकोठी के जाँच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि श्री राम, निलंबित पंचायत सेवक का स्थानीय राजनीति के तहत एवं मुखिया द्वारा चेक पर समय पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण मजदूरों को मजदूरी भुगतान में विलंब हुआ जिसमें पंचायत सेवक की भूमिका नगण्य है। अतएव, निलंबित पंचायत सेवक श्री ओम प्रकाश राम को निलंबन से मुक्त करने की अनुशंसा के साथ विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।'

उपर्युक्त स्थिति के अवलोकन में यह स्पष्ट है कि मजदूरों का भुगतान शिकायत दर्ज

कराने के पश्चात किया गया है। यदि संबंधित मुखिया द्वारा चेक पर हस्ताक्षर करने में विलंब किया गया था तो अपीलकर्त्ता को सरकारी कर्मचारी होने के नाते उक्त की सूचना तत्समय अपने नियंत्री पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया जाना चाहिए था। परंतु अभिलेख के अवलोकन में ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य नहीं पाया गया है। ऐसे में मजदूरों को मजदूरी भुगतान में हुए विलंब के लिए अपीलकर्त्ता की जिम्मेदारी बनती है। संचालन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज का प्रतिवेदन कि मजदूरों को मजदूरी भुगतान में पंचायत सचिव की भूमिका नगण्य है से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। क्योंकि पंचायत सचिव होने के नाते उनका कर्त्तव्य था कि मजदूरों का भुगतान ससमय कराया जाता। परंतु उनके द्वारा न तो मजदूरों का भुगतान ससमय कराया गया है और न ही भुगतान में हो रहे विलंब की सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी गयी है।

(4) अपीलकर्त्ता के विरूद्ध चौथा आरोप है कि,

".....मो0 26320.00 (छब्बीस हजार तीन सौ बीस) रूपया का अस्थाई गबन करते हुए सरकारी राशि का उपभोग व्यक्तिगत कार्य हेतु किया गया।"

उक्त आरोप के संबंध में अभिलेख के अवलोकन में पाया गया है कि आरोपित कर्मी द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांक 14.10.2006 में उल्लेख किया गया कि *".....दिनांक 30.05.2005 को मुझे पंचायत स्तर से नोटिश प्राप्त हुआ कि मेरे द्वारा लिए गए अग्रिम एवं चावल का अधिक उठाव किया गया है। सूचना प्राप्त होने के पश्चात सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जगदीशपुर मोड़ में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के खाता सं0-5797 में दिनांक 17.08.2005 को एवं अन्य योजना में अधिक ली गयी राशि कुल मो0-22,937.00 (बाइस हजार नौ सौ सैतीश) रूपया जमा किया गया तथा 19 क्विंटल 20 किलो चावल पंचायत के भंडार में जमा कर भंडार पंजी में दर्ज करा दिया गया।"*

उपर्युक्त से स्पष्ट हैं कि अपीलकर्त्ता द्वारा अधिक निकासी की गयी राशि (22,937) शिकायत दर्ज होने एवं जाँच के पश्चात जमा कराया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों, निम्न न्यायालीय अभिलेख एवं अपीलकर्त्ता पर लगे आरोप एवं उससे संबंधित साक्ष्य/तथ्य के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि जिलाधिकारी, सिवान द्वारा समुचित आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से जिलाधिकारी, सिवान के प्रश्नगत आदेश को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत अपीलवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।